न्यायालय श्रीमान् सदस्य महोदय राजस्व मण्डल ग्वालियर शाखा रीवा

R. 5015-दो/15 जिला रीवा (म0प्र0)

अपील प्रकरण क्र./........../15

369
01-9-15

संजीव कुमार अग्रवाल तनय स्व0 श्री रामेश्वर प्रसाद अग्रवाल उम्र 50 वर्ष निवासी सिद्धार्थनगर एम.आई.जी–1 सतना, तहसील रघुराजनगर जिला सतना (म0प्र0)

..................निगराकार/आवेदक

<u>बनाम</u>

1. राजेन्द्र अग्रवाल पिता स्व0 रामेश्वर प्रसाद अग्रवाल उम्र 52 वर्ष निवासी एम.आई.जी. 2 सिद्धार्थ नगर सतना जिला सतना (म0प्र0)
2. राजेश कुमार अग्रवाल पिता स्व0 रामेश्वर प्रसाद अग्रवाल उम्र 48 वर्ष निवासी एम. आई.जी. 1 सिद्धार्थ नगर सतना जिला सतना (म0प्र0)
3. राजस्व निरीक्षक वृत्त सतना तहसील रघुराजनगर जिला सतना (म0प्र0)

................गैर निगराकार/अनावेदक

श्री आदर्वेन्द्र सिंह ... पक्ष के द्वारा आज दिनांक 01-9-15 प्रस्तुत किया गया।
रीडर
सर्किट कोर्ट रीवा

निगरानी विरूद्ध आदेश राजस्व निरीक्षक वृत्त सतना प्रकरण क्र. 108ए12/14–15 में पारित आदेश दिनांक 27.05.2015

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0भू0रा0सं0 1959

मान्यवर,

आवेदक की ओर से अधोलिखित तथ्यों के आधार पर निगरानी प्रस्तुत कर सादर विनयी है कि :–

निगरानी के तथ्य :–

01. यह कि आवेदक ग्राम/पोस्ट सिद्धार्थनगर एम.आई.जी–1 सतना, तहसील रघुराजनगर जिला सतना (म0प्र0) के पुस्तैनी वासिन्दा है आवेदक तथा

3/0

X. XIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक R 5015 III/15 जिला सतना

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
2-3-16	मैंने आवेदक के विद्वान अधिवक्ता के तर्क सुने तथा नस्ती का परिशीलन किया। आवेदक का तर्क है कि आक्षेपित सीमांकन आदेश दि. 27-5-15 से उसका रकबा रजिस्ट्री की तुलना में कम कर दिया गया है। आवेदक अधीन की भूमि ख. नं. 774/1/2/ख/1 एवं 775/1/1/2/ख का कुल रकबा 0.486 है होता है जैसा कि खसरे में लिखा है। यही रकबा सीमांकन प्रतिवेदन में भी लिखा है। यदि आवेदक का यह मानना है कि रजिस्ट्री की तुलना में उसका रकबा कम हुआ है तो इसके सम्बन्ध में उसे इस बिन्दु को लेकर सक्षम न्यायालय/अधिकारी के समक्ष जाना चाहिए। सीमांकन राजस्व अभिलेख की प्रविष्टियों के अनुसार किया जाता है। अतः, पर्याप्त आधार नहीं होने के कारण यह निगरानी अग्राह्य की जाती है। आदेश पारित। पक्षकार सूचित हों। प्रकरण समाप्त। दा. द. हो।	

(सदस्य)

[कृ. प. उ.